अनुदान संख्या 72 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 72 – MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*				
मूल	*Original*	*16,98,00*	*17,98,00*	*17,26,44*	*-71,56*
पूरक	*Supplementary*	*1,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*63,77*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	675,18,00	685,27,00	653,56,12	-31,70,88
पूरक	Supplementary	10,09,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,02,83
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*5,00,00*	..	*-5,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*5,00,00*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	69,62,00	69,63,00	52,13,54	-17,49,46
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,97,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹71.56 लाख*) नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए *₹100.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 72 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹71.56 lakhs*) constituted 72 percent of the supplementary *appropriation* of *₹100.00 lakhs* obtained in November, 2011 and 4 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	*O.*	*1673.00*			
पू.	*S.*	*100.00*	*1712.23*	*1706.68*	*-5.55*
पु.	*R.*	*- 60.77*			

(I) "सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग" के अंतर्गत *₹1673.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹100.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹1773.00 लाख* कर दिया, तथापि, जो तकनीकी कारणों की वजह से सूचना प्रौद्योगिकी को कोर संसाधन योजना स्कीम के योग्य बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदा के मूर्तरूप न लेने के कारण *₹66.32* लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Vigilance - Central Vigilance Commission" - the original *appropriation* of *₹1673.00 lakhs* was augmented to *₹1773.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹100.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹66.32 lakhs* – due to non-materialisation of Annual Maintenance Contract with Tata Consultancy Services for IT enabling core processing plan scheme owing to technical reasons.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹3170.88 लाख) अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1009.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹3170.88 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1009.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services				
मू.	O.	14953.00	10029.75	9631.61	-398.14
पु.	R.	-4923.25			
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	5798.00	6187.40	6166.34	-21.06
पु.	R.	389.40			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"				
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission				
मू.	O.	3821.00			
पू.	S.	1.00	5417.00	5378.27	-38.73
पु.	R.	1595.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	28414.00			
पू.	S.	756.00	31124.98	30524.60	-600.38
पु.	R.	1954.98			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	14532.00			
पू.	S.	252.00	13765.04	13655.30	-109.74
पु.	R.	-1018.96			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹5325.93 लाख की बचत (₹14824.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सूचना आयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए नए संघटक के संबंध में योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने, रिक्त पदों को भरे न जाने, काल सेंटर एवं पोर्टल परियोजनाएं शुरू न किए जाने और आदर्श आचरण संहिता की वजह से प्रचार अभियान कम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2070" - "प्रशिक्षण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अन्य प्रशिक्षण स्कीमें" - ₹189.42 लाख की बचत (₹5050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों के कम भाग लेने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" – saving of ₹5325.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14824.00 lakhs) was due to non-approval of Planning Commission for the new component for strengthening of State Information Commission, non-filling up of vacant posts, non-starting up of Call Centre and Portal projects and less publicity campaign owing to model code of conduct.

(III) Under Major Head "2070" – "Training" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Training Schemes" – saving of ₹189.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5050.00 lakhs) was due to less participation of officials in service training programme.

(खा) "सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान" - ₹1257.73 लाख की बचत (₹3341.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब होने, सहायक सीधी भर्ती एफ की कम संख्या होने, स्तर एफ पाठ्यक्रम के आयोजित न किए जाने, एकीकृत प्रेक्षागृह के पूरा होने में विलंब होने और राज्य सूचना आयोग की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावित संघटक को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Institute of Secretariat Training and Management" – saving of ₹1257.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3341.00 lakhs) was due to delay in filling up of vacant posts, less number of Assistant Direct Recruitment F, non-conducting of level F Course, delay in completion of integrated auditorium and non-approval of proposed component of strengthening of infrastructure of State Information Commission.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3402.53 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

3.(I) The above savings were partly (₹3402.53 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2051" - "कर्मचारी चयन आयोग - स्थापना" - ₹1595.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1561.78 लाख था।

(A) Major Head "2051" – "Staff Selection Commission - Establishment" - ₹1595.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1561.78 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" - "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" - ₹1807.53 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1291.00 लाख था।

(B) Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Central Bureau of Investigation" - ₹1807.53 lakhs. Actual excess, however, was ₹1291.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - स्थापना" - ₹368.34 लाख का अधिक व्यय(₹5798.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा दावों, रिक्त पदों के अंतर्गत दैनिक मजदूरों के वेतन और न्यायालय की डिक्री के अनुसार इलाहाबाद पीठ के संबंध में किराया बकायाओं का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2014" – "Central Administrative Tribunals – Establishment" - excess of ₹368.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5798.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards medical claims, salary of daily wagers against vacant posts and clearance of rental arrears in respect of Allahabad bench as per court decree.

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" -

(B) Major Head "2070" -

(क) "प्रशिक्षण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" - ₹266.94 लाख का अधिक व्यय (₹3541.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य स्थानों पर समानान्तर आधार पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, विद्युत और डीजल की दरों में वृद्धि होने और अधिकारी मेस को दी जाने वाली सहायिकी में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(a) "Training - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - excess of ₹266.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3541.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards conducting parallel foundation course at other venues, increase in rate of electricity and diesel and enhancement of subsidy to officer's mess.

(ख) "सतर्कता - केंद्रीय सर्तकता आयोग" - ₹127.29 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(b) "Vigilance - Central Vigilance Commission" - excess of ₹127.29 lakhs (against the

में) हार्डवेयर, साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभारों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of hardware, software and increase in annual maintenance contract charges.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹70.85 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹70.85 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments				
मू.	*O.*	*500.00*	..	..	..
पु.	*R.*	*-500.00*			

(I) *₹500.00 लाख* का *विनियोग* "योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - गृह निर्माण अग्रिम - अखिल भारतीय सेवा अधिकारी" के अंतर्गत राज्य सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹500.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under "Loans for Non-Plan Schemes - House Building Advance - All India Service Officers"- due to non-receipt of demand from the State Governments.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (₹2097.00 लाख) ₹1749.46 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the amount surrendered (₹2097.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹1749.46 lakhs.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	3389.00			
पू.	S.	1.00	2238.00	2632.62	+ 394.62
पु.	R.	-1152.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर	Capital Outlay on				
पूंजीगत परिव्यय	Public Works				
मू.	O.	3573.00	2628.00	2580.92	- 47.08
पु.	R.	- 945.00			

(I) ₹250.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - केन्द्रीय सूचना आयोग" के अंतर्गत एक मामले में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू होने में विलम्ब होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹250.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" - "General - Construction - Central Information Commission" - due to delay in commencement of construction work of office building.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" - "अन्य व्यय - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत ₹757.38 लाख की बचत (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3390.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का "व्यापक आधुनिकीकरण", भूमि की खरीद और कार्यालय/रिहायशी भवन का निर्माण स्कीम शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई ।

(II) Under Major Head "4055" - "Other Expenditure - Central Bureau of Investigation"- saving of ₹757.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3390.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011) was due to delay in commencement of the scheme "Comprehensive Modernisation", purchase of land and construction of office/residence building of Central Bureau of Investigation at Mumbai.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" के अंतर्गत ₹741.96 लाख की बचत (₹3274.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" - "General - Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration"- saving of ₹741.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3274.00 lakhs) was due to slow progress of work by Central Public Works Department.